संचिका संख्या : 6/रा०प्र० न्याय विविध 1/15 (खंड II)

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- 31 (6)रा
दि० - 04-01-2019

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता

फैक्स / ई-मेल

विषय :– विभिन्न अनुमंडलों में न्यायालय स्थापना एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास/अस्थायी भवन में कार्यरत विभिन्न अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय हेतु स्थायी आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभिन्न अनुमंडलों में न्यायालय स्थापना एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास/अस्थायी भवन में कार्यरत विभिन्न अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय हेतु स्थायी आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है। वांछित सूची इस पत्र के साथ संलग्न है न्यायालय भवन निर्माण हेतु 3 एकड़ एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु 3 एकड़ सरकारी भूमि और यदि सरकारी भूमि उपलब्ध न हो तो रैयती भूमि अर्जित कर उपलब्ध कराया जाना है।

जमीन की उपलब्धता एवं चयन के संबंध में दिनांक– 14.01.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न सभी संबंधित अपर समाहर्त्ता के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की जाएगी। पुनः दिनांक– 21.01.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मुख्य सचिव द्वारा सभी संबंधित जिला पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की जाएगी।

अतः इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि जिला स्तर पर भूमि चयन समिति की बैठक 3 दिन के अन्दर करते हुए सूची के अनुरूप जमीन का चयन कर लें।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

4/1

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

वैसे अनुमंडलों की सूची जहाँ न्यायालय स्थापना एवं आवास हेतु भूमि की आवश्यकता है:-

जिला	अनुमंडल	अभियुक्ति
सारण (छपरा)	1. मढ़ौरा	कोर्ट स्थापित नही है।
वैशाली (हाजीपुर)	2. महुआ	कोर्ट स्थापित नही है।
	3. महनार	कोर्ट स्थापित नही है।
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	4. पकड़ीदयाल	कोर्ट स्थापित नही है।
	5. रक्सौल	कोर्ट स्थापित नही है।
	6. चकिया	कोर्ट स्थापित नही है।
गया	7. टेकारी	कोर्ट स्थापित नही है।
	8. नीमचक बथानी	कोर्ट स्थापित नही है।
गोपालगंज	9. हथुआ	कोर्ट स्थापित नही है।
कटिहार	10. मनिहारी	कोर्ट स्थापित नही है।
मधुबनी	11. फुलपरास	कोर्ट स्थापित नही है।
	12. जयनगर	कोर्ट स्थापित नही है।
मुंगेर	13. तारापुर	कोर्ट स्थापित नही है।
नालन्दा (बिहारशरीफ)	14. राजगीर	कोर्ट स्थापित नही है।
नवादा	15. रजौली	कोर्ट स्थापित नहीं है।
सहरसा	16. सिमरी बख्तियारपुर	कोर्ट स्थापित नहीं है।

वैसे अनुमंडलों की सूची जो अस्थायी भवन में कार्यरत है, स्थायी आधारभूत संरचना एवं आवास हेतु भूमि की आवश्यकता है:-

जिला	अनुमंडल	अभियुक्ति
सारण	1. **सोनपुर**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	2. **सिकरहना**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
	3. **अरेराज**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
सीतामढ़ी	4. **बेलसंड**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
	5. **पुपरी**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
कटिहार	6. **बारसोई**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
बेगूसराय	7. **बखरी**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
	8. **तेघड़ा**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
	9. **बलिया**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	10. **नरकटियागंज**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
भोजपुर (आरा)	11. **जगदीशपुर**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
	12. **पीरो**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है।
दरभंगा	13. **बिरौल**	अस्थायी भवन में कोर्ट कार्यरत है, किंतु न्यायालय भवन हेतु 3 एकड़ भूमि हस्तांतरित है।